

## उत्तराखण्ड में वनाग्नि पर प्रभावी नियंत्रण

### चर्चा में क्यों?

उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य वन संरक्षक (CCF) को अत्यधिक संवेदनशील ज़िलों में **वनाग्नि** के वरिद्ध तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं।

### मुख्य बंदि

- अग्निनियंत्रण हेतु नोडल अधिकारियों की नियुक्ति:
  - वन विभाग के 10 वरिष्ठ अधिकारियों को ज़िला स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया।
  - उनकी भूमिका बेहतर अग्निप्रबंधन के लिये ज़िला स्तर पर संसाधनों और विभागों का समन्वय करना है।
  - ज़िला स्तर पर प्रबंधन, नियंत्रण, नगिरानी, सहयोग और समन्वय को दृढ़ करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
- अग्नि-पूरव मौसम की तैयारियाँ:
  - उत्तराखण्ड वन विभाग ने वनों में आग लगने के मौसम से पहले नोडल अधिकारियों की नियुक्ति के लिये एक कार्यालय आदेश जारी किया है।
  - नोडल अधिकारी अग्निप्रबंधन तैयारियों और ज़िला स्तरीय नियंत्रण उपायों की समीक्षा करेंगे।
- अग्निनियंत्रण में सामुदायिक भागीदारी:
  - इसके साथ ही, वन अग्निनियंत्रण एवं प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिये उत्तराखण्ड वन विभाग अलमोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत राज्य के सभी प्रभागों में 'शीतलाखेत' मॉडल को दोहराने के लिये फील्ड कर्मियों, राज्य पर्यावरण प्राधिकरण (SEA) और वन अग्निप्रबंधन समितियों के साथ अनुसंधान कर रहा है।
  - अलमोड़ा वन प्रभाग के अंतर्गत वकिसति 'शीतलाखेत' मॉडल को राज्य के सभी प्रभागों में अपनाया जा रहा है।

### जंगल की आग (वनाग्नि)

- वन की आग को झाड़ी या वनस्पति की आग या वनाग्नि भी कहा जाता है, इसे किसी प्राकृतिक सेटिंग जैसे जंगल, चरागाह, बरशलैंड या टुंड्रा में पौधों के किसी भी अनियंत्रित और गैर-निर्धारित दहन या जलने के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जो प्राकृतिक ईंधन का उपभोग करता है और पर्यावरणीय स्थितियों (जैसे, हवा, स्थलाकृति) के आधार पर वसितारित होता है।
- जंगल में लगी आग को जलाने के लिये ईंधन, ऑक्सीजन और ऊष्मा स्रोत जैसे तीन आवश्यक तत्त्वों की आवश्यकता होती है।